भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 632
दिनांक 09.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

श्रीलंकाई कर्मियों द्वारा मछुआरों का उत्पीड़न

632. **सुश्री एस. जोतिमणिः**
श्री एस. वेंकटेशन:
श्री अधीर रंजन चौधरी:
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार श्रीलंकाई नौसेना/प्राधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को पकड़े जाने/प्रताड़ित किए जाने और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त किए जाने की बढ़ती घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान श्रीलंकाई नौसेना/प्राधिकारियों की कैद में विशेष रूप से तमिलनाडु के कितने भारतीय मछुआरे हैं और कितनी नौकाओं को जब्त/नष्ट किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मछुआरों को वर्ष–वार कितना नुकसान हुआ है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान श्रीलंकाई कर्मियों द्वारा मारे गए भारतीय मछुआरों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पकड़े गए मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं/जहाजों की सुरक्षित रिहाई के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और भारतीय मछुआरों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या राजनयिक पहल/कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इन मछुआरों के आश्रितों/परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों को समय–समय पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा (आईएमबीएल) पार करने और श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है।

(ख) विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वर्ष	**गिरफ्तार किए गए मछुआरों (तमिलनाडु से) की संख्या**	**रिहा किए गए मछुआरों (तमिलनाडु से) की संख्या**	**मछली पकड़ने वाली नौकाओं (तमिलनाडु से) की संख्या, जिन्हें जब्त किया गया।**	**मछली पकड़ने वाली नौकाओं (तमिलनाडु से) की संख्या, जिन्हें छोड़ा गया।**
2019	190	सभी रिहा किए गए	39	1

2020	74	सभी रिहा किए गए	11	1
2021	143	सभी रिहा किए गए	19	4
2022	219	198 रिहा किए गए	30	शून्य

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अगस्त, 2021 में, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कथित गोलीबारी के कारण एक भारतीय मछुआरा घायल हो गया था।

(घ) से (च) हमारे कोंसुली अधिकारी पकड़े गए भारतीय मछुआरों की सलामती की जानकारी लेने के लिए उनसे मिलने जाते हैं तथा उन्हें भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

भारतीय मछुआरों से संबंधित मुद्दों को उच्चतम स्तरों पर उठाया गया है जिसमें सितंबर, 2020 में वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान श्रीलंका के प्रधान मंत्री के साथ हमारे प्रधान मंत्री की बैठक शामिल है। 2021 में, 5–7 जनवरी को कोलंबो की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने श्रीलंका के मत्स्यपालन मंत्री से मुलाकात की थी और भारतीय मछुआरों से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की थी। 15 जनवरी, 2022 को विदेश मंत्री ने श्रीलंका के वित्त मंत्री के साथ हुई अपनी वर्चुअल बैठक के दौरान श्रीलंका की हिरासत में बंद भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई के मुद्दे पर चर्चा की। मार्च, 2022 में श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्वारा श्रीलंका के मत्स्यपालन मंत्री के साथ भी इस विषय पर चर्चा की गई थी।

भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, हिफाज़त और सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। नवंबर 2016 में 2+ 2 पहल के पश्चात, जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और मत्स्यपालन मंत्रियों की नई दिल्ली में मुलाकात हुई, एक द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) तंत्र और दोनों देशों के मत्स्य पालन मंत्रियों की बैठक को संस्थागत बनाया गया ताकि श्रीलंका के साथ मछुआरों से संबंधित मुद्दों को उठाया जा सके। 25 मार्च, 2022 को दोनों सरकारों के बीच जेडब्ल्यूजी के 5 वें दौर का आयोजन किया गया, जहाँ मछुआरों से संबंधित समग्र मुद्दों पर चर्चा की गई।

*****